तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/1202/2003/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम भागीरथ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, उप राजकीय अधिवक्ता।
अप्रार्थी व अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित

——

आदेश

दिनांकः— 22.01.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 19—02—2003 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है ।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार, केकड़ी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय का पेश किया कि ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी के खसरा संख्या 2924 रकबा 163—04—10 बीघा सन् 1950—51 की भू—प्रबंध जमाबंदी में राजकीय खाते में गैर मजरूआ नदी दर्ज है का संवत् 2022 में तहसील केकड़ी में भूमि एकीकरण का रिकार्ड तैयार किया, जिसमें भूमि एकीकरण विभाग ने नदी की पेटा भूमि को गैर कानूनी एवं बिना क्षेत्राधिकार के चन्दा पुत्र मेवा जाति रेगर, नि0 बघेरा के नाम दर्ज कर दी गई तथा वर्किंग जमाबंदी कार्यकारी जमाबंदी संवत् 2042 लागू हुई उसमें भी पूर्ववत् एकीकरण इन्द्राज बदस्तूर रख दिया गया। यह इन्द्राज परिवर्तन राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा इस प्रकार की प्रविष्ठि करने का अधिकार एकीकरण विभाग भू—प्रबंध विभाग को नहीं है। विवादित आराजी खसरा संख्या 2924 जिसके हाल खसरा संख्या 3149 बने है में से 0.04 है0 भूमि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते में दर्ज है, जो अवैध है। चूंकि राज0काश्त0अधि0 की धारा 16 के तहत नदी, नाले, तालाब की भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02—08—2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15—8—1947 की स्थिति को रिकार्ड अनुसार बहाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/1202/2003/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम भागीरथ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाना आवश्यक है। जिस पर न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत् किस्म पाल/नदी/नला/तालाब के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी के खसरा संख्या 2924 रकबा 163–04–10 बीघा सन् 1950–51 की भू–प्रबंध जमाबंदी में राजकीय खाते में गैर मजरूआ नदी दर्ज थी एवं भूमि एकीकरण विभाग ने संवत् 2022 में भूमि एकीकरण का रिकार्ड तैयार करते समय चन्द्रा पुत्र मेवा रेगर निवासी बधेरा के नाम दर्ज कर दी गई तथा चन्द्रा की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान जो कि अप्रार्थीगण है ने संवत् 2042 की जमाबंदी में अपने नाम इन्द्राज करवा लिया है, जिसमें भूमि की किस्म आबादी तृतीय बताई गई है। चूंकि पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी गै0मु0 नदी के रूप में राजकीय खाते में दर्ज थी तथा वर्तमान रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी अप्रार्थी के खाते में दर्ज है जो अवैध है। इस प्रकार की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी में दर्ज योग्य नहीं थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि ऐसी गैर मुमकिन दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को निजी खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं हो सकते हैं। अतः उक्त भूमि बाबत् अप्रार्थी के हक में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है, को निरस्त किया जावें तथा भूमि को पुनः गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अपर जिला कलक्टर, अजमेर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/1202/2003/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम भागीरथ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चूँकि खतौनी जमाबंदी फसली सन् 1950–51 के अनुसार विवादित आराजी का गै.मु. नदी राजकीय सिवायचक के रूप में दर्ज होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार पाल, नदी, नाले, तालाबी किस्म की भूमि में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पाल/पायतन, तलाई आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-

(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/1202/2003/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम भागीरथ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि जोहड़ मय पायतन, नदी/नाला(नला)/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी जोहड़ मय पायतन, नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधिविरुद्ध है। पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म गै.मु.नदी खाता सरकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है।

परिणामतः न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 19.02.2003 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम बघेरा तहसील केकडी में स्थित आराजी खसरा संख्या 2924 रकबा 163–04–10 बीघा जिसके हाल खसरा संख्या 3149 रकबा 0.04 है0 आराजी का अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन/ पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी को निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि को पूर्वानुसार सिवायचक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य